

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन

पत्र सं०

विषय:-

१६५७ / खनिज-एमएमसी-३०

(खनिज अनुभाग)

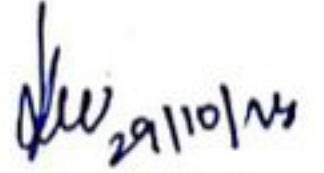
दिनांक: ३० अक्टूबर, २०२५

प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर लगे AIS 140 G GPS Device का Integration विभागीय पोर्टल <https://registration.vtsdgm.up.in/register> से कराये जाने के सम्बंध में।

- १- उपजिलाधिकारी
जालौन, उरई, कोंच, कालपी व माधौगढ़।
- २- क्षेत्राधिकारी, पुलिस,
जालौन, उरई, कोंच, कालपी व माधौगढ़।
- ३- खान निरीक्षक, जालौन।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 1688/आई०टी० सेल/2024 दिनांक 28.10.2025 द्वारा उपखनिज परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन <https://registration.vtsdgm.up.in/register> पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पर कराये जाने के सम्बंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें अभियान चलाकर व यथावश्यक पट्टा क्षेत्रों व अन्य सुलभ स्थलों पर कैम्प लगाकर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल पर कराने व GPS Device AIS 140 विभागीय पोर्टल से Integration कराने के साथ ही उक्त पंजीयन/Integration करते समय यह भी पुष्टि अनिवार्य रूप से किया जाये कि वाहन पर Active माइन टैग सही Mapped है व वाहन पर चरपा है, M.V. ACT अनुसार वाहन उपर्युक्त है तथा Body Extension न हो, नम्बर प्लेट सही हो आदि। यह भी उल्लेख किया गया है कि उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर यूपीडेस्कॉ द्वारा निर्धारित Specification का GPS Device नहीं लगा होने पर GPS Device लगवाने हेतु सम्बंधित परिवहनकर्ता को अवगत कराये जाये। किसी भी तकनीकी सहयोग हेतु श्री सोमेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक भूवैज्ञानिक/नोडल अधिकारी वी०टी०एस० प्रणाली मो० नं० 8076600455 व M/S Margsoft Technologies के प्रतिनिधि श्री रजत मिश्रा मो० नं० 8960667411 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त निर्देशों के क्रम में उपखनिज लदे वाहनों का पंजीयन व Integration प्राथमिकता पर नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।



(राजेश कुमार पान्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- २- अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी, खनिज जालौन।
- ३- खान अधिकारी, जालौन।



(राजेश कुमार पान्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन।